उत्तर प्रदेश शासन
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
संख्या-43/2020/534/बावन-1-2020-8(पी0एम0जे0वी0के0)/19
लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2020

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-40/2020/387/बावन-1-2020-8(पी0एम0जे0वी0के0)/2019 दिनांक 27.03.2020 द्वारा विभिन्न जनपदों में स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त में 02-02 माह की धनराशि को घटाते हुए शेष केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की गयी है

2- उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या-1 के पैरा-2 में उल्लिखित केन्द्रांश की कुल धनराशि रू0 1837.899 लाख के स्थान पर रू0 1837.904 लाख तथा राज्यांश की कुल धनराशि रू0 2715.687 लाख के स्थान पर रू0 2751.687 लाख पढा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 27.03.2020 के पृष्ठ सं0-4 के क्रमांक-23 से पृष्ठ सं0-5 के क्रमांक-31 तक अंकित कुल 22 राजकीय इण्टर कालेजों/राजकीय बालिका इण्टर कालेजों हेतु कुल राज्यांश की धनराशि रू0 1842.50 लाख के स्थान पर 1127.2485 लाख पढा जाय अर्थात् कुल राज्यांश की धनराशि में से रू0 715.2515 लाख की धनराशि को घटाते हुए कुल राज्यांश की धनराशि रू0 2751.687 लाख के स्थान पर रू0 2036.4355 लाख अर्थात् (केन्द्रांश रू0 1837.904 लाख एवं राज्यांश रू0 2036.4355 लाख) कुल धनराशि रू0 3874.3395 लाख पढा जाय।

उक्त शासनादेश के पृष्ठ सं0-4 के क्रमांक-23 से पृष्ठ सं0-5 के क्रमांक-31 तक अंकित कुल 22 राजकीय इण्टर कालेजों/राजकीय बालिका इण्टर कालेजों हेतु जारी की गयी कुल धनराशि में केन्द्रांश की धनराशि यथावत रहेगी तथा राज्यांश रू0 1842.50 लाख के स्थान पर वर्तमान बजट में राज्यांश हेतु उपलब्ध 1124.389 लाख की धनराशि को बराबर-बराबर अर्थात प्रत्येक कालेज हेतु रू0 51.10857 लाख आवंटित समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

रवि शंकर मिश्र
उप सचिव।

संख्या-534(1)/बावन-1-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बन्धित परियोजना के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UO Gautam

7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

8- निदेशक, परियोजनाओं से सम्बन्धित विभाग, लखनऊ ।

9- प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत निर्माण कार्य को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु ।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- वित्त एवं लेखाधिकारी , अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

12- सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उ0प्र0।

13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

14- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय सेप्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

15- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in